न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 136/2016

1 शीशराम पुत्र बिड़दाराम जाति जाट निवासी मीलों की ढ़ाणी तन पुरोहितो की ढ़ाणी तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 इन्द्राज सिंह पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी सोलाना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
2 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री दिनांक 10.03.2016 उनवानी इन्द्राज बनाम शीशराम आदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू दावा बाबत घोषणा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 105/2015

उपस्थिति :

1. श्री हजारीलाल सूणियां, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिनांकः— 11.03.2022

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 105/2015 में पारित निर्णय दिनांक 10.03.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने भूमि खसरा नम्बर 24,53,54,55,56 वाके ग्राम पुरोहितो की ढ़ाणी बाबत घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्ययालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री पारित की है। इससे व्यथित होकर अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलांट की सुनवाई किये बिना तनकीयात कायम किये बिना, तलबी पूर्ण किये बिना, पक्षकारो के साक्ष्य लिये बिना पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प बुडाना में रखकर विचाराधीन निर्णय विधिक प्रकिया की पालना किये बिना पारित किया है। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने अपीलांट की सुनवाई किये बिना तनकीयात कायम किये बिना, तलबी पूर्ण किये बिना, पक्षकारो के साक्ष्य लिये बिना पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प बुडाना में रखकर विचाराधीन निर्णय विधिक प्रकिया की पालना किये बिना पारित किया है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित ऐसा निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को विधिक प्रकिया अपनाकर पुन गुणावगुण पर निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है। अपीलांट विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.04.2022 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर